

स्टाम्प रूपये

संपत्ति की कीमत रूपये 8,45,000-00

वार्षिक लीजरेंट रूपये 2,203-00

कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर

लीज अवधि दिनांक 26/10/2009 से दिनांक 25/10/2039 तक

:: विक्रय पत्र सह-लीजडीड ::

(योजना क्रमांक 54 में एम.आर-10 पर निर्मित आवासीय-सह-वाणिज्यिक काम्पलेक्स में अपर ग्राउण्ड फ्लोर पर निर्मित दुकान क्रमांक यू.जी.-27 संपत्ति के लिये)

जावक क्रमांक / 770

दिनांक / 3 NOV 2009

यह विक्रय पत्र सह-लीजडीड इन्दौर विकास प्राधिकारी की तरफे सम्पदा अधिकारी (जिसे आगे इस विलेख में प्रथम पक्ष सम्बोधित किया गया है। तथा संज्ञा में प्रथमपक्ष के उत्तराधिकारी, हितधारी भी समाविष्ट हैं तथा इस संज्ञा में प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी, हितधारी भी समाविष्ट हैं) तथा क्रेता सह लीजगृहिता श्रीमती वर्षा देवी पति श्री जितेन्द्र कुमार मीरचंदानी, निवासी: 7, साधु नगर, माणिक बाग रोड़, इन्दौर (जिन्हें इस विलेख में आगे द्वितीय पक्ष के कहा गया है व इस संज्ञा में द्वितीय पक्ष के उत्तराधिकारी, हितधारी, भी समाविष्ट हैं)

// शर्ते //

1. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा मुझे योजना क्र. 54 में एमआर 10 पर नगर निगम के विजय नगर झोन आफिस के सामने एक आवासीय सह वाणिज्यिक काम्पलेक्स का निर्माण बी. ओ.टी. पद्धति योजना के अन्तर्गत प्रमोटर मेसर्स क्वालिटी कंस्ट्रक्शन. 3/4, प्रोफेसर कालोनी, इन्दौर जिन्हें कि आगे प्रमोटर कहा गया है के माध्यम से निर्मित किया जा रहा है।

2. यह कि प्रथम पक्ष एवं प्रमोटर के मध्य बीओटी योजना के अंतर्गत निष्पादित अनुबंध निविदा जो कि अनुबंध का भाग है की सामान्य निर्देश की कंडिका. 2 अनुसार प्रमोटर द्वारा उपरोक्त उल्लेखित काम्पलेक्स में निर्मित संपत्ति सीधे विक्रेता को विक्रय करने का एवं संपत्ति का कीमत एकत्रित करने का अधिकार दिया गया होने से उक्त प्रमोटर ने मुझे निष्पादक को उपरोक्त उल्लेखित काम्पलेक्स के अपर मंजिल पर निर्मित वाणिज्यिक उपयोग की दुकान क्रमांक यू. जी.-27 (जिसे आगे संपत्ति) कहा गया है लीज पर विक्रय करने हेतु प्रस्ताव दिया जाने पर द्वितीय पक्ष द्वारा उपरोक्त उल्लेखित संपत्ति प्रमोटर के माध्यम से लीज पर क्रय करने हेतु संपत्ति की कीमत की राशि रूपये 8,45,000-00 (अक्षरी रूपये आठ लाख पैंतालीस हजार मात्र) द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त प्रमोटर को अदा करा दी गई है।

क्रमश.....2

Dr. Arvind

कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

Vaishya

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

- ... ..
- ... ..
- ... ..
- ... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

//2//

3. यह कि प्रथम पक्ष क्रेता द्वारा उक्त प्रमोटर को उपरोक्तानुसार संपत्ति की कीमत की राशि **रूपये 8,45,000-00 (अक्षरी रूपये आठ लाख पैंतालीस हजार मात्र)** का भुगतान करने पर उक्त प्रमोटर द्वारा उपरोक्त संपत्ति का आधिपत्य मुझे दिया जाने एवं लीजडीड का निष्पादन कराया जाने हेतु प्राधिकारी को सूचना दी जाकर अनुशंसा की गई है।

4. यह कि उपरोक्त उल्लेखित काम्पलेक्स में द्वितीय पक्ष द्वारा क्रय की गई संपत्ति दुकान क्रमांक **यू. जी.-21** जो कि उक्त काम्पलेक्स की **अपर** मंजिल पर स्थित होकर उसका कुल क्षेत्रफल **32.49** व.मी. बिल्टअप एरिया है, जिसके संबंध में प्राधिकारी एवं प्रमोटर के मध्य निष्पादित अनुबंध निविदा की शर्त क्रमांक 22 अनुसार निर्धारित दर रूपये 6.30 प्र.स्कै. फिट के मान से वार्षिक लीजरेंट की कुल राशि **रु 2,203-00** द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान की जा चुकी है तथा द्वितीय पक्ष आगे प्रतिवर्ष उपरोक्त वार्षिक लीजरेंट भी राशि प्रथम पक्ष को नियमित रूप से भुगतान करेगा। वार्षिक लीजरेंट की उक्त राशि प्रत्येक वर्ष के जून माह में शोध्य होगी।

5. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम वर्ष के लिए देय लीजरेंट राशि के अतिरिक्त 15 गुना राशि लीजरेंट के रूप में प्रथम पक्ष को जमा करने पर भविष्य में उक्त सम्पत्ति के लिए लीजरेंट देय नहीं होगा।

6. यह कि उपर के चरणों में उल्लेखित उपरोक्त काम्पलेक्स में द्वितीय पक्ष द्वारा लीज पर क्रय की गई संपत्ति दुकान क्रमांक **यू.जी.-27** जो कि उक्त काम्पलेक्स की **अपर** मंजिल पर स्थित होकर निर्मित क्षेत्रफल **32.49** वर्गमीटर हैं की चतुःसीमा निम्नानुसार हैं :-

पूर्व में : दुकान क्रमांक यू.जी.-28  
पश्चिम में : कॉमन चढ़ाव  
उत्तर में : तल मंजिल पर पार्किंग  
दक्षिण में : कामन पैसेज

7. यह कि उपर के चरणों में उल्लेखित उपरोक्त काम्पलेक्स में द्वितीय पक्ष द्वारा लीज पर क्रय की गई संपत्ति दुकान क्रमांक **यू.जी.-27** जो कि उक्त काम्पलेक्स के **अपर** मंजिल पर स्थित होकर निर्मित क्षेत्रफल **32.49** व.मी. का है। द्वितीय पक्ष को प्रथमतः 30 वर्ष की लीज पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए आबंटित की गई है। प्रथम 30 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात उक्त संपत्ति के संबंध में 30-30 वर्ष की अवधि के लिए 2 बार लीज का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

क्रमशः.....3

✓  
Vansh

Principal  
श्री. रा. राजेश्वरी वर्मा-2,  
इन्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ़ इंजीनियर्स, इन्डोर

//3//

8. कब्जा प्राप्ति के पश्चात आबंटिती संपत्ति तथा उसके परिसर के संस्कारण एवं बाह्य सेवाओं के रखरखाव एवं सुरक्षा की व्यवस्था द्वितीय पक्ष पंजीकृत संस्था के द्वारा करेगा। प्रथम पक्ष इसका उत्तरदायित्व वहन नहीं करेगा।
9. जिस तरह प्रथम पक्ष की अन्य सामान्य संपत्तियों तथा भूखण्ड दुकाने, फ्लेट आदि के संबंध में पंजीयन से संबंधित जारी विज्ञप्ति, प्रतिबंध एवं शर्तें लीजगृहिता पर बंधनकारक होती है, वह समस्त शर्तें द्वितीय पक्ष पर बंधनकारक होगी।
10. यह कि संपत्ति की कीमत की राशि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रमोटर को भुगतान करने के पश्चात प्रमोटर द्वारा प्राधिकारी को संपत्ति का कब्जा देने हेतु सूचित किया जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा मौके पर संपत्ति का कब्जा द्वितीय पक्ष को दिया जा चुका है।
11. लीज की राशि की संगणना करने में रूपये के भाग को निकटतम रूपये तक पूर्णांकित किया जावेगा अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया समझा जावेगा जबकि 50 पैसे से कम के भाग को छोड़ दिया जावेगा।
12. यह कि आबंटित संपत्ति पर द्वितीय पक्ष की स्थिति केवल लीजगृहिता की होगी और स्वामित्व के अधिकार हमें प्राप्त नहीं होंगे।
13. यह कि यदि द्वितीय पक्ष की ओर लीजरेंट की धनराशि 3 माह से अधिक अवधि तक के लिये बकाया रहती है तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह लीज समाप्त कर देवे एवं वसूल की जाने वाली रकम को बकाया भूआगम के अनुरूप वसूली की कार्यवाही करे।
14. (अ) यह कि, आबंटिती भूखण्ड, भूखण्ड मय भवन के किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करता है तो विक्रय के पूर्व प्राधिकारी में नियमानुसार हस्तांतरण शुल्क जमा कराकर विक्रय की अनुमति प्राप्त करेगा। प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बगैर विक्रय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार देय हस्तांतरण शुल्क के अतिरिक्त हस्तांतरण शुल्क के बराबर ही पेनल्टी देय होगी।
- (ब) आबंटन दिनांक से एक वर्ष तक भूखण्ड का विक्रय नहीं किया जा सकेगा एवं आबंटन दिनांक से एक वर्ष पश्चात् ही हस्तांतरण की अनुमति दी जा सकेगी।
- (स) प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बगैर संपत्ति का विक्रय करने पर एवं उसकी सूचना प्राधिकारी में 6 माह के पश्चात् देने पर नियमानुसार हस्तांतरण शुल्क एवं पेनल्टी के अतिरिक्त 25 पैसे प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष के मान से शुल्क भी देय होगा।

✓

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

प्रथम पक्ष प्राधिकारी वर्ग-2,  
समाप्त विभाग प्राधिकारी इन्डोर

क्रमश.....4

//4//

15. यह कि मध्यप्रदेश विद्युत मंडल से विद्युत संयोजन प्राप्त करने का उत्तरदायित्व भी द्वितीय पक्ष का मेरा होगा। जल प्रदाय तथा देखरेख के भार की दरों में समय समय पर परिवर्तन होने पर द्वितीय पक्ष को मान्य करना होगी।
16. यह कि द्वितीय पक्ष को सभी शासकीय, नगर निगम तथा टैक्स नियमों के अनुसार मांग होने पर देना होंगे।
17. यह कि द्वितीय पक्ष को द्वारा आबंटित संपत्ति पर सहज में आग पकड़ने वाली वस्तुएं एकत्रित नहीं की जावेगी।
18. यह कि अभिलेख संपदा अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी होने के दिनांक से 3 माह के अंदर द्वितीय पक्ष द्वारा पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा सम्पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष होगी। लीजडीड के पंजीयन के पश्चात पंजीकृत लीजडीड की छाया प्रति द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के कार्यालय में 30 दिन में प्रस्तुत करना होगी।
19. यह कि आबंटित संपत्ति एवं उसके परिसर का आवश्यकतानुसार निरीक्षण करने बाहरी विद्युत स्वच्छता पानी आदि व्यवस्था के परिवर्द्धन/परिवर्तन करते समय निरीक्षण करने आदि का पूर्ण अधिकारी इन्दौर विकास प्राधिकरण/नगर निगम के अधिकारियों को रहेगा।
20. यह कि उक्त काम्पलेक्स एवं आबंटित संपत्ति प्रथम पक्ष की डिजाईन और ब्यौरे के अनुसार प्रमोटर द्वारा निर्मित है जिसके मानक और अनुमोदित डिजाईन में परिवर्तन/परिवर्द्धन का कोई अधिकार द्वितीय पक्ष को नहीं होगा।
21. पत्र व्यवहार हेतु द्वितीय पक्ष का पता इस विलेख में उल्लेखित अनुसार होगा एवं प्राधिकारी द्वारा इस दिए गए पते पर मुझे से पत्र व्यवहार करेगा। पते में परिवर्तन की स्थिति में द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को रजिस्टर्ड ए.डी. पत्र से या संपत्ति अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखकर सूचित करना होगा। अधूरे या गलत पते के कारण होने वाली असुविधा एवं क्षति के लिये द्वितीय पक्ष उत्तरदायी होगा।

Varsha

Dr. Anurag  
सम्पदा प्राधिकारी वर्ग-2,  
इन्दौर विकास प्राधिकारी इन्दौर

क्रमश.....5

//5//

22. यह कि यदि किसी परिस्थिति में संपत्ति द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के प्रचलित नियमों के अंतर्गत भवन अन्य किसी को हस्तांतरित किया जाने की स्थिति में क्रेता/नामांतरित का भी नियमानुसार शपथ-पत्र, शर्तों की स्वीकृति का इकरारनामा आदि की सभी औपचारिकताओं की पूर्ति करना होगी एवं देय राशि जमा करना होगी।

23. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश विकसित भूमियों गृहों, भवनों तथा अन्य संरचनाओं के व्ययन नियम 1975 जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 16/12/77 को प्रकाशित हुए हैं वे तथा समय समय पर शासन अथवा प्राधिकरण द्वारा बनाये गये नियम/विनियम/निर्देश आदेश इत्यादि द्वितीय पक्ष पर बंधनकारक होंगे और उसका पालन करना होगा।

24. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह संपत्ति के आबंटन को निरस्त कर दें।

उपरोक्तानुसार यह विलेख उभय पक्ष के मध्य, स्वरथ बुद्धि की अवस्था में गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया जो कि सनद रहे एवं वक्त जरूरत काम आवें।  
इन्दौर दिनांक : 10/2/10

गवाह:

1. Oleshwar

निष्पादक के हस्ताक्षर

नाम विजय कुमार

पता 7 HASI NAGAR MAHENDRAPUR INDIA

2. K. Divya

नाम Yogendra S. R. C. Divya

पता 111 Cross Road Indore


संपदा अधिकारी  
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर  
प्रथम पक्ष



Divya  
द्वितीय पक्ष

Divya  
संपदा अधिकारी बंग-2,  
इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर

INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY , INDORE



SITE PLAN

SHOPPING CUM RESIDENTIAL COMPLEX  
AT SCHEME No. 54 , ON M.R. -10

SHOP No. : U-27 ( UPPER GROUND FLOOR )

SANCTIONED BY IMC VIDE LETTER No.  
156, DATED:- 21-04-2003

SCHEME No. 54 , ON M.R. -10

BOUNDRY SHOWN AS



BUILTUP AREA - 32.49 SQM.

NOTE : BUILDING PERMISSION AS PER  
M.P. BHUMI VIKAS NIYAM 1984

LEASSEE

श्री मति कर्ण देवी जी  
श्री अशोक कुमार श्री चंडाणा

NOT TO SCALE

For Quality Construction,

*[Signature]* Proprietor.

PROMOTER  
FOR QUALITY CONSTRUCTIONS

For Alka Kemkar & Associates,

*[Signature]*  
Proprietor.

ARCHITECT  
FOR ALKA KEMKAR & ASSOCIATES

*[Signature]*  
SUB. ENGINEER  
IDA , INDORE

*[Signature]*  
ASSITANT ENGINEER  
IDA , INDORE

सम्पदा अधिकारियों द्वारा-2  
इन्दौर विकास  
ईस्टेट ऑफिसर  
IDA , INDORE

*[Signature]*

*[Signature]*

# कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर **ida**

7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर-452003 (म.प्र.)

E-mail : idaindore7@yahoo.in


फैक्स : 2430553, इ पी वी एक्स : 2531312, 2434541, 2533355, 2545339

## :: प्रमाण पत्र ::

यह प्रमाणित किया जाता है कि योजना क्रमांक-54 में एम.आर.10 पर निर्मित आवासीय-सह-वाणिज्यिक काम्पलेक्स में अपर ग्राउण्ड फ्लोर पर निर्मित दुकान क्रमांक यू.जी.-27 कुल क्षेत्रफल 32.49 वर्गमीटर **व्यवसायिक उपयोग** हेतु प्रथम 30 वर्ष की लीज (लीज अवधि दिनांक 26.10.2009 से 25.10.2039 तक) होकर दुकान का वर्ष 2017-18 का लीजरेंट प्राधिकारी में जमा है तथा उक्त दुकान पर कार्यालय के पत्र क्रमांक 9618 दिनांक 14-10-2009 द्वारा प्राधिकारी रेकार्ड में आवंटिती की हैसियत से श्रीमती वर्षा देवी पति श्री जितेन्द्र कुमार मीरचंदानी, निवासी-7, साधु नगर, माणिक बाग रोड, इन्दौर, म.प्र., का नाम दर्ज है। आवंटिती पर इकरारनामा, लीजडीड एवं आवंटन की शर्तें बंधनकारक रहेगी।

उक्त दुकान पर आवश्यक ऋण प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष ली जाने वाली लीज का हक्क कायम रखते हुए, अगर उक्त दुकान किसी बैंक, वित्तीय संस्था या शासन के पास गिरवी (मॉर्टगेज) रखा जाता है प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है। आवंटन/लीजडीड में उल्लेखित उपयोग/स्वीकृत अभिन्यास के विरुद्ध निर्माण कार्य होने अथवा शर्तों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा स्वामित्व संबंधी आपत्ति लेने पर, उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

यह मॉर्टगेज प्रमाण-पत्र इन्हे आवेदन पत्र दिनांक 26-09-2017 के संदर्भ में दिया जा रहा है।

  
संपदा अधिकारी वर्ग-2  
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर  
दिनांक : 6 OCT 2017

क्रमांक 6131 /दो /2/संपदा/2017-18

प्रति,

श्रीमती वर्षा देवी पति श्री जितेन्द्र कुमार मीरचंदानी,  
निवासी-7, साधु नगर, माणिक बाग रोड, इन्दौर, म.प्र.,